81

केन्द्रपोषित योजना

संख्याः 127 / XV-1/14/ 7(19)/09

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 6 फरवरी, 2014

विषयः चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता योजनान्तर्गत बजट अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3039/नि०–5/एक(27)/चारा कार्यक्रम/2013–14 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 एवं निदेशक (Admn/FF), पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–2-20/2006-AHT/FF दिनांक 25 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता योजनान्तर्गत अनुदान सं० 28 एवं अनुदान सं० 30 में निम्न तालिकानुसार क्रमशः ₹ 102.05 लाख एवं ₹ 22.95 लाख कुल **₹ 125.00 लाख (₹ एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि नई माँग के माध्यम से प्राविधानित बजट की धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुदान संख्या–28	अनुदान संख्या–30
1	अजोला के उत्पादन एवं प्रदर्शन इकाई की स्थापना (50 प्र.के.स.)	4.10	0.90
2	विद्युत चालित चैफकटर का प्रवेषण (75 प्र.के.स.)	12.25	2.75
3	साइलेज मेकिंग यूनिट की स्थापना (100 प्र.के.स.)	85.70	19.30
योग		**102.05**	**22.95**

1. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

2. चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाओं को संचालित किया जाना है :–
   (1) अजोला के उत्पादन एवं प्रदर्शन इकाई की स्थापना (50 प्र०के०स०)– योजनान्तर्गत प्रदेश में चारे की कमी दूर करने हेतु अजोला, जो वैकल्पिक हरे चारे का श्रोत है, के उत्पादन हेतु पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही महिलाओं का बोझ कम करना है, जिसके अन्तर्गत अजोला के उत्पादन हेतु कृषकों को प्रशिक्षण के साथ ही

अजोला उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु आवश्यक इनपुट्स (सामग्री) उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) विद्युत चालित चैफकटर का प्रवेषण (75 प्र०के०स०)– योजनान्तर्गत चारे के बेहतर उपयोग, पेड़ों से काटे हुए चारे की बर्बादी को कम करना एवं चारे को सुपाच्य बनाने हेतु 10 तथा उससे अधिक पशु पालने वाले कृषकों को विद्युत चालित चैफकटर उपलब्ध कराया जाना है।

(3) साइलेज मेकिंग यूनिट की स्थापना (100 प्र०के०स०)– योजनान्तर्गत महिलाओं का बोझ कम करने, चारे की कमी को दूर करने व चारे को लम्बे समय तक उसी रूप में संरक्षित करने के लिए साईलेज मेकिंग यूनिट की स्थापना हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है।

3. उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी०एम०–8 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भी तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय, धनराशि का आहरण एवं व्यय आवयकतानुसार ही किया जाय।

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका स्टोर परचेज रूल्स डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरें टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहाँ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–107–चारा और चारागाह विकास–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–06–चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता–42–अन्य व्यय एवं अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–107–चारा और चारागाह विकास–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–03–चारा विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–138(P)/XXVII-04/13दिनांक 30जनवरी, 2014, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः /27 (1) / XV-1/ 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कूमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० प्रसाद)
अनु सचिव